

विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री शाहनवाज खान,
मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तर

प्रश्न

उत्तर

21. (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि पिछली सरकार के बाद से शिक्षा मित्र अध्यापकों को दिये जा रहे 10000/- रुपये प्रति माह वेतन (जो प्रतिदिन एक मजदूरी करने वाले मजदूर से भी कम है) को बढ़ाये जाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है?

सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

(ख) यदि हाँ, तो कब तक शिक्षा मित्रों को 10000/- रुपये प्रति माह से ज्यादा बढ़कर मिलेगा?

उक्तवत।

(ग) क्या स्थायी अध्यापकों व शिक्षा मित्र अध्यापकों से कराये जा रहे कार्य में कोई असमानता जैसे स्थायी अध्यापकों व शिक्षा मित्र अध्यापकों को इतने घण्टे या इस कक्षा तक के विद्यार्थियों तक पढाया जाता है?

शिक्षा मित्रों की नियुक्ति मानदेय आधारित संविदा के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में की गयी है, जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के सापेक्ष की जाती है, जिनके द्वारा शिक्षण कार्य के साथ अन्य प्रशासकीय कार्य भी किया जाता है।

(घ) यदि नहीं, तो सरकार समान कार्य-समान वेतन करने पर क्या कोई कदम उठा रही है?

प्रश्न नहीं उठता।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार)।